ग्राम पंचायत सुण्डला, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना{क}:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, **सुण्डला,** विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान वसचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री खेम राज	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति कमला	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेश कुमार	08-08-13 से 03 -07-14
2.	श्री रमेश कुमार	04-07-14 से 09-06-15
3.	श्री सुरेश कुमार	10-06-15 से 15 -08-16
4.	श्री केवल राम	16-08-16 से 05-12-16
5.	श्री चैन लाल	06-12-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा स०	राशी {₹लाखों में }
1.	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष।	6	0 .56
2.	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करना ।	7	1.20
3.	निर्माण कार्य न करने कारण राशि का संदिग्ध दुर्विनियोजन।	8	1.89
4 .	पूर्व सचिव द्वारा तय सीमा से अधिक नकद रखना।	9	विवरणानुसार
5 .	मस्टररोलों द्वारा दोहरा भुगतान।	10	0.25

6.	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना	12	विवरणानुसार
7.	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद बारे।	13	6.67
8.	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे।	14	7.23

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सुण्डला, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-12-2017 से 05 -12 -2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सुण्डला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 05 /14 , 04/15 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 08/14, 06/15 व 12/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सुण्डला, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:283 दिनांक 05-12-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सुण्डला से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत सुण्डला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{i} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सुण्डला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	316461	9715	326176	13378	312798
2015-16	312798	46597	359395	15588	343807
2016-17	343807	46612	390419	56232	334187

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत सुण्डला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -2 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	442691	2869363	3312054	3516002	-203948
2015-16	-203948	1410969	1207021	1027263	179758
2016-17	179758	3563706	3743464	2511502	1231962

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB salooni	18910103707	587800
2.	----do------	18910112768	1351819
		Cash in hand	44100
		Total	**₹1983719**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1983719

(ख) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख) ₹1566149

अन्तर :- ₹417570

अन्तर का कारण :- सामान्य रोकड़ बही के आय पक्ष में **परिशिष्ट-1** के अनुसार **₹417570** अनुदानों व ब्याज की प्रविष्टियां नहीं की गई।

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत **सुण्डला** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था 1सचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ बही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा , जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने

में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.56 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹56325 की वसूली शेष थी ।

(क) गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	1000	12000	13000	4175	8825
2015-16	8825	12875	21700	1800	19900
2016-17	19900	13125	33025	0	33025

(ख)मोबाइल टावर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	10000	7400	17400	4900	12500
2015-16	12500	7400	19900	4000	15900
2016-17	15900	7400	23300	0	23300

उक्त बकाया राशियों को तुरन्त वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से₹1.20 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव **सुण्डला** द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd state, के शीर्ष के अन्तर्गत **₹119857** इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक खर्च किए गए। जो कि एक अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7. 1 अनुदान ₹ 12.32 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-2}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1231962** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान

की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत **सुण्डला** को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 निर्माण कार्य न करवाने के कारण ₹1.89 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार सामान्य निधि से किए गए निर्माण कार्य पर ₹188640 खर्च किए गए दर्शाए गए है। जब अंकेक्षण द्वारा सचिव व तकनीकी सहायक से उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो सचिव व तकनिकी सहायक द्वारा अंकेक्षण को सलग्न **परिशिष्ट-3** के प्रमाण पत्र द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुए है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका नहीं हुई है जबकि उक्त निर्माण कार्य पर व्यय किए लगभग तीन वर्ष से अधिक का समय हो चुके है ,अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का क्रय किया गया व मस्टररोल द्वारा मजदूरी का भुगतान भी किया गया है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य न करवा कर ₹188640 का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया है। इस मामले को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 284 दिनांक 05-12-17 द्वारा सचिव/प्रधान ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया,मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में विभागीय जाँच व उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है व पूर्ण कार्यवाही उपरान्त इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम सं	निर्माण कार्य का नाम	व्यय की गई राशि
1	c/o drain at sundla	100000
2	c/o panihar at thola	50000
3	c/o protection wall at vadha	38640
	जोड़	**₹188640**

9 पूर्व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पूर्व सचिव श्री रमेश कुमार द्वारा अवधि 21-10-14 से 18-04-15 तक कुल **₹70000** व 19-04-15 से 28-02-16 तक कुल **₹ 84020** तथा दिनांक 29-02-16 को ₹40000 श्री रमेश कुमार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उक्त राशि में से जमा करवा दी गई थी व वर्तमान में दिनांक 31-03-17 को **₹44020** की नकद राशि की वसूली श्री रमेश कुमार पूर्व सचिव से करनी शेष है। **नकद राशि** को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि नियमानुसार केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी

जा सकती है, जोकि {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला उच्च अधिकारीयों के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त राशियों पर समय अवधि के आधार पर दण्ड ब्याज की राशि की गणना करने उपरांत सम्बंधित से वसूली की जाए व भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 मजदूरो द्वारा एक ही अवधि को दो अलग-अलग निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाने के फलस्वरूप ₹0.25 लाख का दोहरा भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि के निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि मस्ट्रोलों में मजदूरो द्वारा एक ही अवधि में अलग-अलग निर्माण कार्यो में हाजिरी लगाई गई है, जोकि एक गम्भीर मामला है।

(क)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	मस्टररोल सं	रोकड़ बही पृष्ट	कुल भुगतान
8	नि० पनिहार ठोला	01-03-14 से 20-03-14	14835	43	21562
2	लिंक रोड चुवानी	01-03-14 से 29-03-14	14836	20	51848
19	ड्रेन निर्माण सुंडला	01-03-14 से 10-03-14	14833	23	29370

क्रम सं	मजदूर का नाम	कार्यों का नाम	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्रीमती विमला पत्नी जसबंत	नि.कार्य पनिहार ठोला व लिंक रोड चुवानी	15 दिन	154	2310
2.	श्री निधिया राम सपुत्र तेजो राम	नि.कार्य पनिहार ठोला व ड्रेन निर्माण सुंडला	8 दिन	190	1520
			दोहरा भुगतान		**₹3830**

(ख)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	मस्टररोल सं	रोकड़ बही पृष्ट	कुल भुगतान
40	बचाव कार्य तिलोडी	01-05-14 से 20-05 -14	18540	56	50140
51	डंपिंग एंड फीलिंग सुंडला	01-03-14 से 29-03-14	18541	56	19080

क्रम सं	मजदूर का नाम	कार्यों का नाम	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्रीमती बीना पत्नी सोमराज	बचाव कार्य तिलोडी	20	180	3600
2.	श्री निधिया राम सपुत्र तेजो राम	बचाव कार्य तिलोडी	19	180	3420
				दोहरा भुगतान	**₹7020**

(ग)

वा.सं	निर्माण कार्य का नाम	अवधि	मस्टररोल सं	रोकड़ बही पृष्ट	कुल भुगतान
103	नि.डंपिंग एंड फिलिंग सुंडला	1-08-16 से 31-08-16	18546	69	33300
107	लिंक रोड भिलाई से चुवानी	यथोपरि	18547	70	14580

क्रम सं	मजदूर का नाम	कार्यों का नाम	दिन	दिहाड़ी की दर	कुल दोहरा भुगतान
1.	श्री खेमराज सपुत्र ज्ञान चन्द	लिंक रोड भिहाली से चुवानी	27 दिन	180	4860
2.	श्री दीप राज सपुत्र मुसदी	यथोपरि	26 दिन	180	4680
3.	श्री किसो सपुत्र चतरो राम	यथोपरि	26दिन	180	4680
				जोड़	14220

कुल दोहरा भुगतान (क+ख+ग) ₹25070

उपरोक्त विवरण के आधार पर जाँच में पाया गया कि उक्त निर्माण कार्यों में एक ही अवधि में अलग-2 निर्माण कार्यों में उक्त मजदूरों को दो निर्माण कार्यों के लिए दोहरा भुगतान करके कुल **₹25070 का** अधिक भुगतान किया गया है जो कि एक गम्भीर मामला है। अत: सम्बंधित से उक्त राशि को वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

11 सीमेंट की 185 बोरियां को प्राइवेट फर्म से खरीदने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -5** के अनुसार 185 सीमेंट की बोरियां प्राइवेट फर्म से खरीदी गई है जबकि सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सीमेंट की खरीद प्राइवेट फर्म से तभी ख़रीदा जा सकता है जब नजदीकी सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपो से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया

गया हो। मनरेगा निधि के अंतर्गत सीमेंट की खरीद सिविल सप्लाई कारपोरेशन से की गई है। परन्तु अन्य निधि में खरीद प्राइवेट फर्म से की गई है जोकि अनुचित है, सिविल सप्लाई कारपोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र न प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व् अनुपालना से आगामी को अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा कनिष्ठ अभियंता स्तर के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना₹ 6.67 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹666669** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत सुंडला को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई ₹7.23 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-5** के अनुसार **₹722615** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है , जोकि एक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में

अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत सुंडला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार प्राप्ति व उपयोग सम्बंधित लेखा तैयार कर आगामी लेखा परीक्षा से जांच करवाया जाए अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है ।

15 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-5** के अनुसार पत्थर की 118 फरी(ढेर) की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थरों की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके अभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर की मात्रा के स्थान पर केवल फरी दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत सुण्डला को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

19 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

20 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव की स्थिति चिंताजनक है। लेखों के रख-रखाव सुधार एवं अति कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)21/2018 खण्ड–1–3434–3437 दिनांक 16.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सुण्डला, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881